अध्यादेश का सारांश

पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 2017

- पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 2017 को 1 जुलाई, 2017 को जारी किया गया। यह पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) एक्ट, 1994 को संशोधित करता है। 1994 का एक्ट पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करता है।
- **एंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली का अधिकार :** 1994 के एक्ट के तहत केंद्र सरकार को चंडीगढ़ में एंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली करने का अधिकार है। अध्यादेश केंद्र सरकार के इन अधिकारों को चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करता है।
- यह अध्यादेश संविधान (101वां संशोधन) एक्ट, 2016 के परिणामस्वरूप जारी किया गया है। यह एक्ट इंटरटेनमेंट टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित करता है। उल्लेखनीय है कि अगर इंटरटेनमेंट टैक्स पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी द्वारा वसूला जाता है, तो वह जीएसटी में शामिल नहीं होगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

वत्सल खुल्लर
vatsal@prsindia.org

18 जुलाई, 2017